प्रेस प्रकाशनी *

अक्तूबर 2010

प्राधिकरण प्रमाणपत्र का समर्पण

1 अक्तूबर 2010

दि टाईम्स ऑफ मनी लिमिटेड, 4थी मंज़िल, टाईम्स टॉवर्स, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-400013 ने 23 सितंबर 2010 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किया गया प्रधिकरण प्रमाणपत्र स्वैच्छिक रू प से समर्पित कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को जारी करने के लिए भुगतान प्रणाली के परिचालन हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत दि टाईम्स ऑफ मनी लिमिटेड को 5 अप्रैल 2010 को प्रधिकार प्रमाणपत्र (34/2010) जारी किया था।

मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया पर कार्य दल

4 अक्तूबर 2010

वर्ष 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित भारत में मौद्रिक नीति की मौजूदा परिचालन प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है।

रिज़र्व बैंक की 13 सितंबर 2010 की प्रेस प्रकाशनी की प्रतिसूचना में प्राप्त अभिमतों को ध्यान में रखते हुए कार्यदल की निर्धारित शर्तों के संदर्भ निम्नानुसार है:

(i) प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रियाओं का सर्वेक्षण;

(ii) भारत में मौद्रिक नीति खासकर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की वर्तमान परिचालन प्रक्रिया की समीक्षा;

(iii) निम्नलिखित के संबंध में चलनिधि समायोजन सुविधा के परिचालन की जाँच :

क. सीमा की व्यापकता;

ख. नीलमियों की बारंबारता और समयावधि

ग. रिपो और रिवर्स रिपो परिचालनों की परिपक्वता अवधि

(iv) बैंक दर की भूमिका का आकलन;

(v) स्थायी सुविधाओं जैसे कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त की भूमिका की जाँच करना; और

(vi) निम्नलिखित विशेष संदर्भ में अतर्राष्ट्रीय व्यवहारों और घरेलू अनुभव के आलोक में भारत में मौद्रिक नीति की वर्तमान परिचालन प्रक्रिया के लिए परिवर्तनों का सुझाव;

क. क्या एक निश्चित सीमा होनी चहिए

ख. यदि ऐसा है तो क्या विशिष्ट शर्तों के अधीन इसकी व्यापकता नियत होनी चहिए अथवा परिवर्तनशील होनी चहिए।

ग. यदि ऐसा है तो सक्षम ढंग से कार्य करने के लिए क्या लिखत/व्यवस्थाएं इस सीमा को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं।

13 सितंबर 2010 की प्रेस प्रकाशनी में यह दर्शाया गया था कि कार्यदल की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती करेंगे और इसमें भारतीय बैंक संघ (आइबीए), निर्धारित आम मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी (डीरिवेटिव्ज) संघ और रिज़र्व बैंक के संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शमिल होंगे। इस दल में बाह्य विशेषज्ञ भी शमिल होंगे।

तदनुसार, गठित किए गए कार्यदल के निम्नानुसार सदस्य होंगे:

(i)	श्री दीपक मोहंती कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक	अध्यक्ष
(ii)	प्रोफेसर अशिमा गोयल इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आइजीआइडीआर)	सदस्य
(iii)	श्री बी. महापात्रा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य
(iv)	डॉ. जनक राज प्रभारी परामर्शदाता मौद्रिक नीति विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य
(v)	श्री के.के.वोरा मुख्य महाप्रबंधक आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य
(vi)	श्री पी.कृष्णमूर्ति मुख्य महाप्रबंधक वित्तीय बाज़ार विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य
(vii)	भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के प्रतिनिधि	सदस्य
(viii)	श्री सौगाता भट्टाचार्य वरिष्ठ उप अध्यक्ष और मुख्य अर्थशा एक्सिस बैंक	सदस्य
(ix)	सुश्री शिल्पा कुमार अध्यक्ष निर्धारित आम मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा)	सदस्य

(x) श्री अमिताव सरदार — सदस्य-सचिव
परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक

इस कार्यदल को सचिवीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यकारी दल द्वारा अपनी रिपोर्ट पहली बैठक की तारीख से तीन महिनों के भीतर प्रस्तुत करने की संभावना है।

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : मेसर्स कोक्स एण्ड किंग्ज (इंडिया) लिमिटेड

5 अक्तूबर 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स कोक्स एण्ड किंग्ज (इंडिया) लिमिटेड अपने ईक्विटी शेयरों की संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 74 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है। कंपनी ने ऐसा अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर पारित संकल्प तथा अपने शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प के अनुसरण में किया है।

विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स कोक्स एण्ड किंग्ज (इंडिया) लिमिटेड के ईक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं, बशर्ते कि:

((i) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल खरीद उक्त कंपनी के कुल चुकता ईक्विटी पूँजी और परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक श्रृंखला का कुल चुकता मूल्य लागू समग्र अधिकतम सीमा के 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चहिए।

(ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाते द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चहिए।

सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित, सोलापुर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

6 अक्तूबर 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 (ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित, सोलापुर, महाराष्ट्र पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के 23 दिसंबर 2009 के पत्र के अनुसार बैंक पर लागू पर्यवेक्षी कार्रवाई के उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उकमत उल्लंघन सबित हो गया है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

बैंकों में ग्राहक सेवा पर समिति - अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई गई

8 अक्तूबर 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित बैंकों में ग्राहक सेवा पर समिति (अध्यक्ष - श्री एम. दामोदरन) की अंतिम रिपोर्ट और सिफरिशें प्रस्तुत करने की तारीख 14 जनवरी 2011 तक बढ़ाई गई है। यह रिपोर्ट पूर्व में 14 अक्तूबर 2010 को प्रस्तुत की जानी थी। समिति जिन शर्तों पर और जिस प्रयोजन के लिए गठित की गई है उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय की अधिकता को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को आगे बढ़ाना आवश्यक है।

आपको यह ज्ञात होगा कि जून 2010 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेंशनभगियों सहित खुदरा और छोटे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने तथा बैंकों में शिकायत निवारण व्यवस्था की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने, उसका ढाँचा और क्षमता का मूल्यांकन करने और शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए उपाय सुझाने हेतु समिति का गठन किया था।

पंजाब और हरियाणा ने विद्यालय पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को शामिल किया

15 अक्तूबर 2010

पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारें विद्यालय पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को शामिल करने पर सहमत हो गई हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ हुई अलग-अलग बैठकों में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव द्वारा दिए गए सुझाव के रूप में यह कार्रवाई की गई। गवर्नर ने कहा कि वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन का दूसरा पहलू है तथा उन्होंने पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अपने विद्यालय पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को शामिल करने पर विचार करें। वे भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक के लिए चंडीगढ़ में थे।

इस बैठक में मुख्य आर्थिक, मौद्रिक और वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा की गई। डॉ. डी.सूब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैठक की अध्यक्षता की। श्री वाइ.एच.मालेगाम, प्रो. सुरेश तेंदुलकर, प्रो. यू.आर.राव, श्री लक्ष्मी चंद, श्री एच.पी.रानिना, श्री कुमार मंगलम बिड़ला, श्रीमती शशि राजगोपालन, श्री सुरेश नेवटिया, डॉ. ए.वैद्यनाथन, प्रो. एम.एम.शर्मा, और श्री संजय लाबू केंद्रीय बोर्ड की इस बैठक में उपस्थित थे। रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, श्रीमती उषा थोरात, डॉ. के.सी.चक्रवर्ती और डॉ. सुबीर गोकर्ण भी इस बैठक में उपस्थित थे।

चंडीगढ़ में ही गवर्नर ने हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बी.एस.हुडा और पंजाब के उप मुख्य मंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल से भी मुलाकात की। उन्होंने देश की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में उन्हें संक्षिप्त जानकारी दी। समग्र आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन के महत्व का उल्लेख करते हुए गवर्नर ने इच्छा व्यक्त की कि राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता अभियानों में सहायता करें।

गवर्नर ने पंजाब और हरियाणा के राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की और पारस्परिक हित के मामलों जैसेकि इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशन, ऋण स्वैप योजना और जाली करेंसी नोटों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार और बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मंच का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करे।

भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की घोषणा

21 अक्तूबर 2010

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से 21 अक्तूबर 2010 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ.सं.4(3)-डब्ल्यूएण्डएम/2010 के अनुसार (i) ₹500.00 करोड़ की संपूर्ण बकाया राशि के लिए 8.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2010, (ii) ₹9,462 करोड़ की संपूर्ण बकाया राशि के लिए 12.32 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2011 और (iii) ₹18,590.50 करोड़ की संपूर्ण बकाया राशि के लिए 6.57 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2011 की पुनर्खरीद की घोषणा उनके नकदी प्रबंध परिचालनों के लिए की है। ये पुनर्खरीद परिचालन शुद्ध रूप से तदर्थ प्रकृति के हैं और सरकार की वर्तमान अधिक नकदी शेषों के माध्यम से इन्हें निधि प्रदान की जाएगी।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि एकधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए एकधिक-प्रतिभूति नीलामी के माध्यम से ₹12,000 करोड़ की सकल रशि के लिए उपर्युक्त सरकारी स्टॉकों की पुनर्खरीद 25 अक्तूबर 2010 (सोमवार) को की जाए। भुगतान 26 अक्तूबर 2010 (मंगलवार) को किया जाएगा।

सरकार के पुनर्खरीद परिचालनों की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी :

(क) एक साथ रखे गए बास्केट में सभी प्रतिभूतियों के लिए समग्र सकल सीमा की रशि ₹12,000 करोड़ है। कोई प्रतिभूति-वार अधिसूचित रशि नहीं है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक को यह अधिकार होगा कि :

(i) अलग-अलग प्रतिभूतियों की खरीद की मात्रा पर निर्णय ले,

(ii) ₹12,000 करोड़ रुपए की सकल राशि से कम रशि स्वीकार करे,

(iii) पूर्णांकित प्रभाव के कारण सकल रशि से सीमांत रूप से अधिक की खरीद करे,

(iv) बिना कोई कारण बताए आवश्यक समझे तो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किसी अथवा सभी बोलियों को अस्वीकार कर दे।

(ग) यह नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 25 अक्तूबर 2010 (सोमवार) को आयोजित की जाएगी)

(घ) इस नीलामी के लिए बोलियाँ तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) के खुले बाज़ार परिचालन (ओएमओ) माड्यूल का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में प्रस्तुत की जाएं। सभी नीलमियाँ पूर्वाह्न 10.30 बजे और अपराह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जाएं।

(ङ) इस नीलामी के परिणाम 25 अक्तूबर 2010 को घोषित किए जाएंगे और सफल बोलीकर्ताओं को भुगतान 26 अक्तूबर 2010 (मंगलवार) को बैंकिंग कार्यसमय के दौरान किया जाएगा। सफल बोलीकर्ता यह नोट करें कि वे 26 अक्तूबर 2010 (मंगलवार) को पूर्वाह्न में अपने एसजीएल खाते में प्रतिभूतियों की अपेक्षित राशि उपलब्ध करा दें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की उप समिति लघु वित्त संस्था क्षेत्र के मुद्दे और चिंताओं का अध्ययन करेगी

28 अक्तूबर 2010

रिज़र्व के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की उप समिति ने आज इसके विचारणीय विषयों को अंतिम रूप दिया। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य श्री वाई.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में इस उप समिति

का गठन लघु वित्त क्षेत्र में मुद्दे और चिंताओं के अध्ययन हेतु बोर्ड की अक्तूबर की बैठक के बाद किया गया था। विचारनीय विषय इस प्रकार है :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लघु वित्त का कार्य करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के विनियमन के प्रयोजन से ''लघु वित्त'' और ''लघु वित्त संस्थाएं (एमएफआइ)'' की परिभाषा की समीक्षा करना और उचित सिफारिशें देना।

2. उन प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए ब्याज दरों, उधार और वसूली प्रक्रियाओं के संबंध में लघु वित्त संस्थाओं की मौजूदा प्रणाली की जाँच करना जो उधारकर्ता के हित का अतिक्रमण करती हैं।

3. रिज़र्व बैंक द्वारा लघु वित्त का कार्य करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन के लक्ष्य और दायरे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विनियामक ढाँचे को निरुपित करना।

4. राज्यों की राशि उधार विधायीकरण प्रयोज्यता तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/लघु वित्त संस्थाओं के लिए अन्य संबंधित कानूनों की जाँच करना और इस संबंध में समुचित सिफारिशें करना।

5. उप भूमिका की जाँच करना जिसे लघु वित्त संस्थाओं के संगठन और निकाय पारदर्शिता प्रकटन और सर्वोत्तम व्यवहारों को बढ़ाने में अदा कर सकते हैं।

6. एक शिकायत निवारण व्यवस्था की सिफारिश करना जिसे उपर्युक्त 3 बिंदुओं में अनुशंसित विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा सकता है।

7. उस स्थिति की जाँच करना जिसके अंतर्गत लघु वित्त संस्थाओं को ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा समुचित सिफारिशें करना।

8. विचारणीय विषय के संगत किसी अन्य मद पर विचार करना।

पिछले कुछ समय में कुछ लघु वित्त संस्थाओं द्वारा उच्चतर ब्याज दरों, उत्पीड़क वसूली प्रक्रियाओं और बहुविध ऋण व्यवहारों के बारे में मीडिया में कुछ चिंता व्यक्त की गई है। इसे तथा अन्य विषयों का अध्ययन करने और अपनी नीतियों पर उसके प्रभाव और गरीब तथा बैंक सुविधा से वंचित लागों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में लघु वित्त संस्थाओं की उपयोगी भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन संस्थाओं द्वारा विवेकपूर्ण ब्याज दर रखने के उपायों और साधन सहित इस क्षेत्र में मुद्दे और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य श्री वाई.एच.मालेगाम इस उप समिति के अध्यक्ष होंगे। इस उप समिति के अन्य सदस्यों में श्रीमती शशि राजगोपालन, श्री यू.आर.राव, श्री कुमार मंगलम बिड़ला, डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर शामिल हैं। श्री वी.के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक इस उप समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह उप समिति तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक केवल उन लघु वित्त संस्थाओं का नियंत्रण करता है जो उनके पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। यद्यपि, पंजीकृत कंपनियाँ लघु वित्त कारोबार का लगभग 80 प्रतिशत व्याप्त करती हैं फिर भी कंपनियों की संख्या के आधार पर यह देश में लघु वित्त संस्थाओं की कुल संख्या का एक छोटा प्रतिशत ही है। तथापि, रिज़र्व बैंक इन संस्थाओं के लिए उधार दरें निर्धारित नहीं करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि सरल बनाने के उपायों की घोषणा की

29 अक्तूबर 2010

हाल की अवधि में रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) व्यवस्था घाटे की स्थिति में रही है। अपर्याप्त चलनिधि के कारण उभरे दबाव को चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने हेतु रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित अस्थायी उपायों की घोषणा की :

- एक विशेष द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ़) 29 अक्तूबर 2010 को अपराह्न 2.30 बजे और 1 नवंबर 2010 को अपराह्न 4.15 बजे दो दिन आयोजित की जाएगी।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत एक दो दिवसीय रिपो नीलामी शनिवार, 30 अक्तूबर 2010 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित की जाएगी। अनुसूचित वणिज्य बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 8 अक्तूबर 2010 को अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक अतिरिक्त चलनिधि सायता प्राप्त कर सकते है। यह सुविधा प्राप्त करने से 30 और 31 अक्तूबर 2010 को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में आने वाली किसी कमी के लिए बैंक एक अस्थायी जदर्थ उपाय के रू प में दण्डात्मक ब्याज से छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा केवल शनिवार, 30 अक्तूबर 2010 के लिए ही उपलब्ध है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि सरल बनाने के उपायों की अवधि बढ़ाई

31 अक्तूबर 2010

अस्थायी चलनिधि दबाव से बचने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 अक्तूबर 2010 को चलनिधि को सरल बनाने के दो उपायों की घोषणा की है।

चूँकि अस्थायी चलनिधि दबाव चलनिधि सहजता उपलब्ध कराने के लिए कायम रह सकते हैं, अतः यह निर्णय लिया गया है कि 29 अक्तूबर 2010 को घोषित चलनिधि को सरल बनाने के उपायों की अवधि 1 से 4 नवंबर 2010 के दौरान प्रति दिन के लिए बढ़ाई जाए। तदनुसार,

- अनुसूचित वणिज्य बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 8 अक्तूबर 2010 को अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते है। चूँकि 4 नवंबर 2010 को चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी 4 दिनों के लिए होगी, 7 नवंबर 2010 तक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में आने वाली किसी कमी के लिए बैंक एक अस्थायी तदर्थ उपाय के रू प में दण्डात्मक ब्याज से छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- एक विशेष द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ़) 1-4 नवंबर 2010 के दौरान सभी दिन अपराह्न 4.15 बजे आयोजित की जाएगी।